



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052024-253997  
CG-DL-E-01052024-253997

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2024/वैशाख 9, 1946

No. 241]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2024/VAISAKHA 9, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 255(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उप-धारा (1), लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 3 नवंबर, 2015 की संख्यांक सा.नि.का. 835 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

(क) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (1), (2) और (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“(1) श्री न्यायामूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता,

- अध्यक्ष;

न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

(2) श्री राकेश मोहन,

- सदस्य;

मकान सं. 7020, सैक्टर-बी, पाकेट 10,

वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

- (3) श्री संदीप गर्ग, - सदस्य;  
डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई, दूसरा तल,  
जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली-110001.”

(ख) क्रम संख्यांक (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

- “(6) श्री अमित आनंद आपटे, - सदस्य  
402, एथेना [लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा  
16/2, एरनडावने सीएचएस 22क के तहत नियुक्ति]  
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के पीछे  
पुणे: 411004

[फा. सं.12/15/2007-पीआई खंड III]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 835(अ) दिनांक 3 नवंबर, 2015 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1130(अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. 171(अ), दिनांक 01 मार्च, 2019, सा.का.नि. 413(अ) दिनांक 10 जून, 2019, सा.का.नि. 408(अ) दिनांक 15 जून, 2021, सा.का.नि. 415(अ) दिनांक 16 जून, 2021, सा.का.नि. 212(अ) दिनांक 17 मार्च, 2022, सा.का.नि. 222(अ), दिनांक 25 मार्च, 2022 तथा सा.का.नि. 668(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2022 द्वारा इसे बाद में संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

**G.S.R. 255(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:-

(a) In the said notification, - for serial numbers (1), (2) and (3) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

- "(1) Shri Justice Suresh Kumar Gupta, -Chairperson;  
Judge (Retd.), High Court of Allahabad,
- (2) Shri Rakesh Mohan, - Member;  
H. No. 7020, Sector – B, Pocket 10,  
Vasant Kunj,  
New Delhi- 110070,
- (3) Shri Sandip Garg, - Member;  
WTM, IBBI, 2<sup>nd</sup> Floor,  
Jeevan Vihar Building, Sansad Marg,  
New Delhi- 110001;”

(b) For serial number (6) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

|                                                                                                                       |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “(6) Shri Amit Anand Apte,<br>402, Athena<br>Erandawane CHS<br>Behind Dr. Shama Prasad Mukherjee Park<br>Pune: 411004 | - Member<br>[Appointed under section 22A of 16/2,<br>the Cost and Works Accountants<br>Act, 1959]” |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

[F. No. 12/15/2007-PI Vol III]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

**Note.-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 835(E), dated the 3<sup>rd</sup> November, 2015 and subsequently amended, vide notifications numbers G.S.R. 1130(E), dated the 13<sup>th</sup> December, 2016, G.S.R. 171(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2019, G.S.R. 413(E), dated the 10<sup>th</sup> June, 2019, G.S.R. 408(E), dated the 15<sup>th</sup> June, 2021, G.S.R. 415(E), dated the 16<sup>th</sup> June, 2021, G.S.R. 212(E), dated the 17<sup>th</sup> March, 2022, G.S.R. 222(E), dated the 25<sup>th</sup> March, 2022 and G.S.R. 668 ( E ), dated the 30<sup>th</sup> August, 2022.